प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन
2016-17
राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर
परिचय

1. राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, भारतीय बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था है, जो राज्य में बीज एवं पूरे राष्ट्र में जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करती है।

2. संस्था का संचालन राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 13 सदस्यीय संवादल मंडल द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार एवं सचिव संस्था निदेशक है। तकनीकी क्षेत्र में संस्था केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा संचालित होकर IMSCS के अनुरूप कार्य सम्पादन करती है।

3. संस्था द्वारा फसलों की अधिसूचित किस्मों का प्रमाणीकरण राज्य में भारतीय व्यूहनलय बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप किया जाता है।

4. संस्था की स्थापना वर्ष 1977 में राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के द्वारा की गई थी। जिसका पंजीकरण राजस्थान सोसायटीज एक्ट 1958 के अंतर्गत किया गया था। जैविक प्रमाणीकरण हेतु संस्था को राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। इसके लिए संस्था में निदेशालय स्तर पर राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई।

5. संस्था को जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करने हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय के संस्था एपीडा द्वारा वर्ष 2007 में मान्यता दी गई थी। जैविक प्रमाणीकरण का कार्य राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप वर्ष 2007 से तथा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन NOP-USDA के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप वर्ष 2015 से किया जा रहा है।

6. भारत सरकार द्वारा संस्था को आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन (OECD) के अन्तर्गत विश्व स्तरीय बीज प्रमाणीकरण हेतु भी चयन किया गया है। प्रायोगिक तीर पर घरेलू उपयोग हेतु प्रमाणीकरण कार्य चालू कर दिया गया है।

उद्देश्य

1. बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित किस्म, किस्मों के बीजों का राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित IMSCS के मापदंडानुसार प्रमाणीकरण करना।

2. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्म, किस्मों की सूची का संचारण कर बीज उत्पादक संस्थाओं एवं बीज उत्पादक केंद्रों को उपलब्ध करवाना।

3. किस्मांतों को प्रशिक्षण एवं प्रचार के माध्यम से प्रमाणित बीज की उपयोगिता, प्रमाणित बीज उत्पादन की तकनीकी जानकारी देकर प्रमाणित बीज उत्पादन एवं उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।

4. जैविक प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) एवं NOP-USDA के निर्धारित मापदंडानुसार निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण करना।
प्रशासनिक व्यवस्था

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय द जंजीरा कार्यालय, पंत कृषि भवन, तृतीय तल, जनपथ, जयपुर में स्थित है। निदेशक संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। वर्तमान में राज्य में संस्था के 17 कार्यालय हैं, जिसमें से 6 बीज प्रमाणीकरण अधिकारी व 11 उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी स्तर के हैं। संस्था की प्रशासनिक संरचना ‘परिषिक्ष-1’ पर दर्शायी गयी है तथा वर्तमान में कुल 175 पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है —

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>पद का नाम</th>
<th>स्वीकृत पद</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>निदेशक</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>बीज प्रमाणीकरण अधिकारी</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>लेखाधिकारी</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>वरिष्ठ निजी सहायक</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>निजी सहायक</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>कार्यालय अधीकार</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>शीर्ष प्रलिपि</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>कार्यालय सहायक</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>किड्डल लेखाकार</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>सहायक प्रोजेक्टर</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>वरिष्ठ लिपि</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>किड्डल लिपि</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>वाहन चालक</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>सहायक कर्मचारी</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>योग</td>
<td>175</td>
</tr>
</tbody>
</table>
प्रमाणीकरण

प्रमाणीकरण एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। बीज उत्पादन संस्थाएं जो भी बीज क्षेत्र प्रमाणीकरण अथवा आवेदन करती हैं, उनका नियमावलिस्सा प्रमाणीकरण कार्य किया जाता है। वर्तमान में प्रमाणित बीज उत्पादन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की 205 संस्थाएं कार्यरत हैं। फसलों के बीजों को प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश में वर्तमान में 154 बीज विभाग के केंद्र क्रियाशील हैं जिनमें से 60 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 94 निजी क्षेत्र हैं। संस्था की स्थापना वर्ष 1977-78 से वर्ष 2015-16 तक निरीक्षित क्षेत्र एवं कुल प्रमाणित बीज का प्रगति विवरण निम्नलिखित है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>वर्ष</th>
<th>निरीक्षित क्षेत्र (२५)</th>
<th>प्रमाणित बीज की मात्रा (किस्म)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>1977-78</td>
<td>12,000</td>
<td>50,049</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>1980-81</td>
<td>17,356</td>
<td>1,63,806</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>1990-91</td>
<td>29,049</td>
<td>2,50,070</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>2000-01</td>
<td>56,811</td>
<td>5,60,461</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>2009-10</td>
<td>1,17,513</td>
<td>13,29,053</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>2010-11</td>
<td>1,37,115</td>
<td>19,41,522</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>2011-12</td>
<td>1,24,497</td>
<td>16,22,960</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>2012-13</td>
<td>1,29,195</td>
<td>17,15,106</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>2013-14</td>
<td>1,26,566</td>
<td>15,46,683</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>2014-15</td>
<td>1,14,024</td>
<td>15,57,411</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>2015-16</td>
<td>1,56,922</td>
<td>19,44,416</td>
</tr>
</tbody>
</table>

वर्ष 2016-17 का प्रगति विवरण

खरीफ-2015 के बीज क्षेत्रों का क्षेत्र तत्कालीन प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अयोग्य कार्य करवाया गया। इस मौसम में विभिन्न फसलों का 280818.93 किस्म बीज प्रमाणित किया गया, जो खरीफ 2016 में किसानों को बुराई हेतु उपलब्ध हुआ। फसलवार विवरण निम्न प्रकार है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>फसल</th>
<th>निरीक्षित क्षेत्र (२५)</th>
<th>प्रमाणित क्षेत्र (२५)</th>
<th>प्रमाणित बीज (किस्म)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>बाजार</td>
<td>0.00</td>
<td>2.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>अधिक</td>
<td>0.00</td>
<td>32.00</td>
<td>27.46</td>
</tr>
<tr>
<td>का पान</td>
<td>2.80</td>
<td>6.00</td>
<td>4.54</td>
</tr>
<tr>
<td>मिर्च</td>
<td>1.00</td>
<td>10.60</td>
<td>9.00</td>
</tr>
<tr>
<td>जीत्त</td>
<td>1.20</td>
<td>0.00</td>
<td>125.19</td>
</tr>
<tr>
<td>अर्द्ध</td>
<td>1.80</td>
<td>102.60</td>
<td>632.68</td>
</tr>
<tr>
<td>कासर</td>
<td>6.00</td>
<td>23.20</td>
<td>11.40</td>
</tr>
<tr>
<td>वकला</td>
<td>13.50</td>
<td>348.80</td>
<td>85.80</td>
</tr>
<tr>
<td>धानिक</td>
<td>49.80</td>
<td>332.00</td>
<td>1405.13</td>
</tr>
<tr>
<td>चावल</td>
<td>557.50</td>
<td>6861.80</td>
<td>27650.14</td>
</tr>
<tr>
<td>ज्वार</td>
<td>85.23</td>
<td>313.20</td>
<td>193.52</td>
</tr>
<tr>
<td>गन्ना</td>
<td>15.00</td>
<td>0.00</td>
<td>847.41</td>
</tr>
<tr>
<td>मुंग</td>
<td>846.60</td>
<td>7858.40</td>
<td>27959.40</td>
</tr>
<tr>
<td>गोवर</td>
<td>164.00</td>
<td>3844.60</td>
<td>10505.39</td>
</tr>
<tr>
<td>धान</td>
<td>148.56</td>
<td>793.10</td>
<td>481.62</td>
</tr>
<tr>
<td>चण्ड</td>
<td>823.60</td>
<td>26295.48</td>
<td>26722.60</td>
</tr>
<tr>
<td>भित्त</td>
<td>66.00</td>
<td>440.40</td>
<td>802.49</td>
</tr>
<tr>
<td>पुर्ष</td>
<td>0.80</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>उदव</td>
<td>125.20</td>
<td>703.80</td>
<td>1102.44</td>
</tr>
<tr>
<td>आग</td>
<td>2923.39</td>
<td>47970.78</td>
<td>271631.78</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल योग</td>
<td>50894.17</td>
<td>6465.55</td>
<td>280818.93</td>
</tr>
</tbody>
</table>
रबी 2015–16 में विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीज उत्पादक संस्थाओं का खेत, जो, सरसो, चना आदि प्रभाव फसलों का 103640.07 हैं। क्षेत्र निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु पंजीकृत किया गया। इसमें से न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार 85794.57 है। क्षेत्र का अंतिम रूप से प्रमाणित किया गया। रबी 2015–16 के प्रमाणित क्षेत्र से 2106444.49 विच. रंग बीज प्रमाणीकरण हेतु विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा विधायन केंद्रों पर संग्रहित किया गया। इस बीज के विधायन, परीक्षण, शैक्षिक आदि की प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर 1651047.72 किव बीजों का अंतिम रूप से प्रमाणीकरण किया गया, जो रबी 2016–17 में किसानों को बुवाई के लिए उपलब्ध हुआ, फसलवार विवरण निम्न प्रकार है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>फसल</th>
<th>निरीक्षण क्षेत्र (हैं)</th>
<th>निरस्त क्षेत्र(हैं)</th>
<th>प्रमाणित क्षेत्र (हैं)</th>
<th>प्रमाणित बीज(किव)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>जी</td>
<td>583.81</td>
<td>10124.51</td>
<td>132.66</td>
<td>1336.08</td>
</tr>
<tr>
<td>गाजर</td>
<td>1.60</td>
<td>0.00</td>
<td>1.60</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>फूल गोभी</td>
<td>0.80</td>
<td>0.00</td>
<td>0.80</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>धनिया</td>
<td>14.00</td>
<td>50.20</td>
<td>1.42</td>
<td>2.92</td>
</tr>
<tr>
<td>जीरा</td>
<td>15.00</td>
<td>202.54</td>
<td>8.60</td>
<td>57.64</td>
</tr>
<tr>
<td>चना</td>
<td>1581.16</td>
<td>23141.90</td>
<td>101.70</td>
<td>3618.23</td>
</tr>
<tr>
<td>अलसी</td>
<td>55.90</td>
<td>31.20</td>
<td>5.05</td>
<td>1.20</td>
</tr>
<tr>
<td>रिजका</td>
<td>5.20</td>
<td>0.00</td>
<td>4.80</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>मकका</td>
<td>0.00</td>
<td>82.40</td>
<td>0.00</td>
<td>50.70</td>
</tr>
<tr>
<td>मैदी</td>
<td>38.56</td>
<td>343.82</td>
<td>11.20</td>
<td>84.10</td>
</tr>
<tr>
<td>सरसों</td>
<td>112.32</td>
<td>5951.31</td>
<td>31.92</td>
<td>1058.22</td>
</tr>
<tr>
<td>जड़ी</td>
<td>104.64</td>
<td>470.90</td>
<td>4.32</td>
<td>25.84</td>
</tr>
<tr>
<td>पालक</td>
<td>2.00</td>
<td>172.40</td>
<td>1.00</td>
<td>6.00</td>
</tr>
<tr>
<td>मटर</td>
<td>0.80</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>मूली</td>
<td>1.60</td>
<td>6.00</td>
<td>0.00</td>
<td>1.60</td>
</tr>
<tr>
<td>तुरई</td>
<td>0.40</td>
<td>0.00</td>
<td>0.40</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>तारामोरा</td>
<td>15.60</td>
<td>17.00</td>
<td>15.60</td>
<td>0.58</td>
</tr>
<tr>
<td>तोरिया</td>
<td>10.00</td>
<td>293.80</td>
<td>0.00</td>
<td>1.20</td>
</tr>
<tr>
<td>गंगू</td>
<td>3390.16</td>
<td>56818.53</td>
<td>255.21</td>
<td>11027.30</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>5933.56</td>
<td>97706.51</td>
<td>575.49</td>
<td>17270.01</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल योग</td>
<td>103640.07</td>
<td>17845.50</td>
<td>85794.57</td>
<td>1651047.72</td>
</tr>
</tbody>
</table>

जानवर 2016 में मूंग, चंवला, तुरई व टिप्पड़ा फसल का 2387.27 हैं। बीज क्षेत्र का निरीक्षण कर 2190.87 है। वाइट क्षेत्र अंतिम रूप से प्रमाणित किया गया। बीज विधायन प्रक्रिया 12548.88 किव बीज तैयार किया गया जिसका परीक्षण व शैक्षिक कार्य प्रगति पर है, जो आगामी जायद एवं खरीफ 2017 में किसानों को बुवाई के लिए उपलब्ध हो सकेगा। फसलवार विवरण निम्न प्रकार है—
खरीफ 2016 में विभिन्न बीज उत्पादक संख्याओं द्वारा विभिन्न खरीफ क्षेत्रों का 62179.47 हेक्टेयर क्षेत्र निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत किया गया। इसमें से क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण कर 53833.71 हेक्टेयर अंतिम रूप से प्रमाणित किया गया। इस प्रमाणित क्षेत्र से प्राप्त रो बीज प्रमाणीकरण हेतु विभिन्न बीज उत्पादक संख्याओं द्वारा विधायन केन्द्रो पर संपूर्णता किया गया। इस बीज का भौतिक सत्यापन, विधायन, बीज प्रशिक्षण, वैकिंग आदि की प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्राप्ति पर है। खरीफ—2016 में संयोजित बीज से लगभग 413812.52 किंवा बीज प्रमाणित होने की समाधाना है, जो आगामी खरीफ—2017 में किसानों को बुधवार के लिए उपलब्ध हो सकेगा, फसलबार विवरण निम्न प्रकार है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्षेत्र</th>
<th>निरीक्षित क्षेत्र (हेक्टर)</th>
<th>निरस्त क्षेत्र (हेक्टर)</th>
<th>प्रमाणित क्षेत्र (हेक्टर)</th>
<th>संयोजित बीज उत्पादन (किलो)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अल्पक</td>
<td>43.20</td>
<td>157.20</td>
<td>6.40</td>
<td>44.00</td>
</tr>
<tr>
<td>बाल</td>
<td>9.00</td>
<td>50.80</td>
<td>4.80</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>बिल</td>
<td>0.50</td>
<td>20.00</td>
<td>0.00</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>आसक</td>
<td>2.00</td>
<td>86.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>कोप</td>
<td>3.20</td>
<td>26.00</td>
<td>0.48</td>
<td>9.22</td>
</tr>
<tr>
<td>खंड</td>
<td>4.80</td>
<td>522.60</td>
<td>0.80</td>
<td>46.80</td>
</tr>
<tr>
<td>मुंसफक</td>
<td>142.50</td>
<td>429.50</td>
<td>15.86</td>
<td>9.60</td>
</tr>
<tr>
<td>नकल</td>
<td>459.40</td>
<td>4393.42</td>
<td>131.85</td>
<td>709.87</td>
</tr>
<tr>
<td>नाई</td>
<td>131.75</td>
<td>635.22</td>
<td>64.20</td>
<td>216.21</td>
</tr>
<tr>
<td>मजदूर</td>
<td>41.30</td>
<td>19.20</td>
<td>39.40</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>मूंग</td>
<td>1307.96</td>
<td>16040.24</td>
<td>173.07</td>
<td>1681.01</td>
</tr>
<tr>
<td>मोठ</td>
<td>206.00</td>
<td>5557.67</td>
<td>29.80</td>
<td>449.71</td>
</tr>
<tr>
<td>चान</td>
<td>29.60</td>
<td>753.16</td>
<td>0.00</td>
<td>6.00</td>
</tr>
<tr>
<td>सोबहन</td>
<td>830.86</td>
<td>28547.78</td>
<td>71.73</td>
<td>3991.05</td>
</tr>
<tr>
<td>सिंह</td>
<td>73.80</td>
<td>594.60</td>
<td>24.80</td>
<td>212.80</td>
</tr>
<tr>
<td>जुडा</td>
<td>97.60</td>
<td>962.60</td>
<td>11.20</td>
<td>297.10</td>
</tr>
<tr>
<td>बाग</td>
<td>3383.47</td>
<td>58796.00</td>
<td>574.39</td>
<td>7683.37</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल बाग</td>
<td>62179.47</td>
<td>8257.76</td>
<td>53833.71</td>
<td>413812.52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*निरीक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है।

रबी 2016-17 में 15 जनवरी, 2017 तक विभिन्न बीज उत्पादक संख्याओं का सरसों, बना, गेहूँ, जो आदि का लगभग 110443 हेक्टेयर क्षेत्र निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत किया गया है, जिसका न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप क्षेत्र निरीक्षण कार्य प्राप्ति पर है।
राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था

1. परिचय: -- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में अदिश्यता जारी कर राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के अन्तर्गत स्वतंत्र प्रक्रिया के रूप में “राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था” का गठन किया गया। इस संस्था को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य उत्पाद प्रसंस्करण नियंत्रण विकास प्राधिकरण (एपीडी), नई दिल्ली से राज्यीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) एवं NOP-UDSA के तहत नियंत्रित मानकों अनुसार जैविक प्रमाणीकरण कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

2. उद्देश्य: -- संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्यीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) एवं NOP-UDSA के मानकों के अन्तर्गत जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण सेवाओं प्रदान करना है। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित दर्द निजी क्षेत्र की संस्थाओं से अवतंशकृत कम है। अतः घोटी जोत व आर्थिक रुप से कमजोर कृषि भी प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़ कर अपने उत्पादों को राज्यीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकते है।

3. कार्यक्षेत्र: -- संस्था द्वारा फसल उत्पादन, जैविक उत्पाद प्रसंसकरण / व्यापार एवं वन उत्पाद संग्रहण हेतु राज्यीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) एवं NOP-UDSA मानकों के अन्तर्गत प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है। जैविक आदानों के अनुमोदन हेतु भी संस्था में आवेदन किया जा सकता है।

4. जैविक प्रमाणीकरण की वर्तमान स्थिति

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम</th>
<th>प्रमाणीकरण का वर्ग</th>
<th>कृषी पूंजीकरण (कृष)</th>
<th>कृषी क्षेत्र (कृषी)</th>
<th>जैविक प्रमाणीकरण (धातु)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>एकल कृषक</td>
<td>65</td>
<td>65</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>कृषक समूह</td>
<td>40</td>
<td>14253</td>
<td>4727</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>वन उत्पाद संग्रहण</td>
<td>1</td>
<td>9920</td>
<td>9920</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>प्रोसेसर/द्रेडर इकाई</td>
<td>5</td>
<td>मान्यता</td>
<td>मान्यता</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>जैविक आदान</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
<td>1 अनुमोदन या 2 अनुमोदन की प्रक्रिया में</td>
</tr>
</tbody>
</table>

योग 114 39154 14318 14827

वर्ष 2016-17 में जैविक प्रमाणीकरण की प्रगति: --

1. संस्था में इस वर्ष 16 एकल कृषकों का 93 है, 18 कृषक समूहों का 14976 है। इस प्रकार कुल 15069 है। कृषि जैविक प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त एक प्रसंसकरण एवं तीन द्रेडिंग इकाईयों को प्रमाणीकरण कार्य हेतु तीन जैविक आदान उत्पादक इकाईयों को अनुमोदन करने का भी पंजीकरण किया।

2. संस्था द्वारा विभाग वर्ष में राजस्थान राज्य के अतिरिक्त स्वायत्त मध्यप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं मेघालय इम्यादिराज्यों में जैविक कृषक समूहों, एकल कृषकों, प्रसंसकरणकार्य इकाई के प्रमाणीकरण का कार्य व गुजरात में आदान इकाई अनुमोदन के कार्यों का भी पंजीकरण किया गया है।

3. सभी एकल कृषकों कृषक समूहों, प्रोसेसर/द्रेडर, वन्य उत्पाद संग्रहण व आदान अनुमोदन के जैविक निर्णय एवं प्रमाणीकरण कार्य किए गये। नवीन पंजीकृत कृषक/कृषक समूहों/आदान इकाईयों के निर्णय का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय प्रगति

बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की आय का मुख्य स्रोत बीज उत्पादन विभाग एवं पैकिंग एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण इम्यादिकार्यों से प्राप्त सेवा शुल्क है। यह एक व्यस्त वित्तपोषित संस्था है तथा अपने प्रभाव वर्ष 1977 से लगातार सबके संस्थानों को अनुमोदित आय एवं कृषि वित्तीय प्रबन्धन से बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। वर्ष 2015-16 में संस्था की कुल आय 1327.66 लाख रुपये है तथा कार्य परिसंचरण पर 827.70 लाख रूपये का व्यय हुआ है। इस प्रकार आलोचना अवधि में संस्था द्वारा 399.96 लाख रूपये का शुद्ध लाभ अनुमोदित किया गया है।
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र सं</th>
<th>कार्यालय स्थान</th>
<th>पता</th>
<th>तूरभाष नंबर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>निकसागर, जयपुर</td>
<td>न्यायालय, राजस्थान राज बीज एवं जैविक उद्यादन प्रमाणीकरण संस्था, पं. कृषि भवन, जयपुर 302005</td>
<td>9414007400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>संपत्ति बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी (सुप्रीम नियंत्रण)</td>
<td>0141-2227104</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>बीज प्रमाणीकरण अधिकारी (जैविक)</td>
<td>0141-2227456</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(फेब्रुवर्स)</td>
<td>0141-2227315</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9785777701</td>
<td>9785544469</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9785777704</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>श्रीरामगांव</td>
<td>बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, 2 एफ 34, जयानगर नगर, श्रीरामगांव 335001</td>
<td>0154-2460625</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9785777762</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>सरासरा</td>
<td>बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,</td>
<td>01509-220176</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>औद्योगिक क्षेत्र, बांसवाड़ा रोड, सरासरा-335004(श्रीगंगा)</td>
<td>8003378499</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9413997744</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>बांसवाड़ागांव</td>
<td>बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, बोर्ड फार्म, दाहाल रोड, बांसवाड़ा-327001</td>
<td>9785777710</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>कोटा</td>
<td>बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, काराकाना बाग, पूलिस लाइन के पास, कोटा-324001</td>
<td>0744-2326518</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>जयपुर</td>
<td>बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, कर्मचारी नंबर 373, पं. कृषि भवन, जयपुर 302005</td>
<td>9785777710</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>भरतपुर</td>
<td>बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, पुराना बागणा बस स्टॉप, नौमदा गेट, भरतपुर-321001</td>
<td>05644-225823</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9785777725</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>हनुमानगढ़</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, 9/15, हाउसिंग बॉर्ड कोलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन-335512</td>
<td>01552-244257</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9785777711</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>पोलीवंगा</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, गांव नंबर 15, पंजाब नैशनल बैंक के पास पोलीवंगा-335803 (हनुमानगढ़)</td>
<td>31508-233983</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9785777441</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>खड़गपुरा</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, 96 ए, नूतन मानमंडल, रसवट, ट्रेकिंग कंपनी, भ्रूङ नहुमान मान्चर खड़गपुरा-335707 (श्रीगंगा)</td>
<td>9785777199</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>अलवर</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, दुकान नंबर 3/458 काराला कुआ, हाउसिंग बॉर्ड, अलवर-301001</td>
<td>9785777727</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>अजमेर</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, पारंपरिक नंबर 7-6, आदर्श नगर, पूलिस बीकी के सामने, नसीराबाद रोड, अजमेर-305001</td>
<td>9785777789</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>जोधपुर</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, 182-ए, पेटी-II पारा, जोधपुर-342001</td>
<td>0291-2552891</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>चित्तूरदङ्गा</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, दुर्ग-अग्रेन मंडिर, मनो-90, बिंदिया मंदिर के सामने, शंक भवन नंबर, प्रताप नगर, चित्तूरदङ्गा-312001</td>
<td>9785777729</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>खैराती</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, द्वारा ग्रीष्मकी स्थल, अग्राबाज, बार्ड नंबर 16, पोस्ट अफिस के पास, खैराती (अलवर) 321606</td>
<td>9785777743</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>झालाउड़ा</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, द्वारा राजस्थान राज बीज निगम के, एन. मंडल के पास, खानपुर रोड, झालाउड़ा</td>
<td>9785777116</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>धार</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, गार्ड कोलोनी के पास, कृषि विभाग कार्यालय रेलवे, धार</td>
<td>9785777735</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>उदयपुर</td>
<td>उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, संयुक्त नि.जैविक, कृषि प्रताप नगर, बाईपास रोड, उदयपुर</td>
<td>9785277748</td>
</tr>
</tbody>
</table>
राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था

पंत कृषि भवन, जयपुर, फोन : 0141-2227104 & 2227315, फॅक्स : 0141-2227456
e-mail : dir.rssopca@rajasthan.gov.in, dir.roca@rajasthan.gov.in